

अध्याय 7

लेखे और अभिलेख

नियम 56 : रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रख *रखाव

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, प्रदाय के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति वाउचर, संदाय वाउचर तथा प्रतिदाय वाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और प्रदाय किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, प्रदाय, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बटुटे खाते में डाले या उपहार या निःशुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रेप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी।
- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- (4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है।
- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,—
 - (क) प्रदायकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है;
 - (ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की प्रदाय की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है;

उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं। (6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की प्रदाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है।

- (7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलैक्ट्रानिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा।
- (8) रजिस्ट्रों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को

* राजपत्र में "रखा" छपा है।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलेक्ट्रॉनिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा।

- (9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा।
- (10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है।
- (11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा,—
- (क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या प्रदाय करने के लिए उसके द्वारा पृथकतः प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां;
- ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है;
- (ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है;
- प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे; और
- (ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर।
- (12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उपउत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा।
- (13) सेवाओं की प्रदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा प्रदाय की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे।
- (14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा—
- (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है;
- (ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);
- (ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);
- (घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे; और
- (ङ) उन प्रदायकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (15) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिकी रूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजीटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा।
 - (16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक प्रदाय और जावक प्रदाय के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, प्रदाय बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजीटल रूप से किया जाता है।
 - (17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तिकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।
 - (18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है।
-